रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. **1698**] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2013/आषाढ़ 28, 1935

No. 1698] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2013/ASHADA 28, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2013

का.आ. 2204(अ).—पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्ताव पर आक्षेप या सुझाव, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेजे जा सकेंगे । आक्षेप या सुझाव, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियम की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त किए जा सकेंगे, उन पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप अधिसूचना

1. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में, पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

11क. पर्यावरण संबंधी समाघात निर्धारण (ईआईए) रिपोर्ट तथा पर्यावरण संबंधी प्रबंध योजना (ईएमपी)की तैयारी और प्रस्तुतिकरण -

पर्यावरण संबंधी परामर्शी संगठन जो, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) या राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) या किसी अन्य अभिकरण, जिसे समय-समय पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाए, उस विशिष्ट सेक्टर या क्षेत्र में तथा उस सेक्टर या क्षेत्र के लिए परियोजना के प्रवर्ग हेतु प्रत्यायित हैं, उस सेक्टर और प्रवर्ग में किसी परियोजना की पर्यावरण संबंधी समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा पर्यावरण संबंधी प्रबंधन योजना तैयार करने और संबद्ध विशेषज्ञ आकलन समिति (ईएसी) या राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी) के समक्ष उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे ।

[जे-11013/56/2004-आईए. II (I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए-

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; और
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2013

S.O. 2204(E).—The following draft notification further to amend the Environment Impact Assessment Notification, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S. 1533 (E) dated the 14th September, 2006, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette containing this notification is made available to the public;

Objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may be forwarded to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003. Objections or Suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Notification

1. In the Environment Impact Assessment Notification, 2006 after paragraph 11, the following paragraph shall be inserted, namely :-

11 A. Preparation and Presentation of Environmental Impact Assessment (EIA) report and Environmental Management Plan (EMP).-

The Environmental consultant organization which are accredited for a particular sector or area and the category of project for that sector or area with the Quality Council of India (QCI) or National Accreditation Board for Education and Training (NABET) or any other agency as may be notified by the Ministry of Environment and Forests from time to time shall be allowed to prepare the Environmental Impact Assessment

report and Environmental Management Plan of a project in that sector and category and to appear before the concerned Expert Appraisal Committee (EAC) or the State Expert Appraisal Committee (SEAC).

[J-11013/ 56 / 2004- IA.II (I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009;
3. S. O. 695(E) dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012; and
5. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054